कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के लेखापरीक्षित लेखों तथा अनेक स्रोतों जैसे आर्थिक सर्वेक्षण, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय विवरण एवं जनगणना 2011 से संगृहीत अतिरिक्त आंकड़ों पर आधारित यह रिपोर्ट पाँच अध्यायों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा करती है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय-I

विहंगावलोकन

- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का राजकोषीय अधिशेष 2017-18 में ₹ 113 करोड़ से बढ़कर 2018-19 के दौरान ₹ 2,237 करोड़ हो गया जो 2019-20 के दौरान ₹ 416 करोड़ के घाटे और 2020-21 के दौरान ₹ 6,708 करोड़ के घाटे में बदल गया और जो पुन: 2021-22 के दौरान ₹ 7,021 करोड़ के घाटे में बदल गया।

(पैराग्राफ 1.5)

अध्याय-II

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त

- राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 7,449 करोड़ (17.79 *प्रतिशत*) बढ़ गई। वर्ष 2021-22 में, रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से राजस्व प्राप्तियां लगभग 82.83 *प्रतिशत* थी जबकि सहायता अनुदान का योगदान 17.17 *प्रतिशत* था। कुल राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे.दि.स. के स्वयं कर राजस्व का अंश 2017-18 में 92.37 *प्रतिशत* से घटकर 2021-22 में 81.15 *प्रतिशत* हो गया।

(पैराग्राफ 2.3.2.1)

- ऋण पूंजीगत प्राप्ति 2020-21 में ₹ 15,365 करोड़ से 47.37 *प्रतिशत* घट कर 2021-22 में ₹ 11,193 करोड़ हो गईं (भारत सरकार से बैक टू बैक ऋण के रूप में प्राप्त 2020-21 में ₹ 5,865 करोड़ और 2021-22 में ₹ 6,193 करोड़ के जीएसटी मुआवजे को हटाने के बाद)। उसी प्रकार गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां 2020-21 में ₹ 631 करोड़ से 1.27 *प्रतिशत* घटकर 2021-22 में ₹ 623 करोड़ हो गई।

(पैराग्राफ 2.3.3)

- पूंजीगत व्यय 2017-22 की अवधि के दौरान वर्ष के मध्य में ₹ 3,243 करोड़ से ₹ 8,311 करोड़ के बीच उतार-चढ़ाव को दर्शाता है जबकि राजस्व व्यय उसी अवधि के दौरान लगातार बढ़ा। पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में ₹ 4,699 करोड़ से (76.87 *प्रतिशत*) बढ़कर ₹ 8,311 करोड़ हो गया। वर्ष 2021-22 के लिए राजस्व व्यय कुल व्यय का 80.84 *प्रतिशत* था जबकि पूंजीगत व्यय तथा ऋणों और अग्रिमों का संवितरण क्रमश: 14.59 *प्रतिशत* तथा 4.57 *प्रतिशत* था।

(पैराग्राफ 2.4.1 एवं 2.4.3)

- राजस्व व्यय 2017-18 में ₹ 33,754 करोड़ से 36.41 *प्रतिशत* बढ़कर 2021-22 में ₹ 46,043 करोड़ हो गया। राजस्व व्यय 2020-21 में ₹ 40,414 करोड़ से 13.93 *प्रतिशत* बढ़कर 2021-22 में ₹ 46,043 करोड़ हो गया। कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश पिछले पांच वर्षों की तुलना में 34.88 *प्रतिशत* (2019-20) से 36.34 *प्रतिशत* (2020-21) तक रहा।

(पैराग्राफ 2.4.2 एवं 2.4.2.2)

- सब्सिडी पर व्यय 2017-18 में ₹ 2,497 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 4,690 करोड़ (87.83 *प्रतिशत*) हो गया। 2021-22 में सब्सिडी पर व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 12.28 *प्रतिशत* बढ़ गया। 2021-22 के दौरान उच्चतम सब्सिडी बिजली सब्सिडी (₹ 3,250 करोड़) थी उसके बाद पानी सब्सिडी (₹ 600 करोड़) थी। स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता 2020-21 में ₹ 16,643 करोड़ से 3.15 *प्रतिशत* घटकर 2021-22 में ₹ 16,118 करोड़ हो गई।

(पैराग्राफ 2.4.2.4 एवं 2.4.2.5)

- 2021-22 में सरकारी कंपनियों और सहकारी संस्थाओं में किए गए निवेश में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 800 करोड़ की वृद्धि हुई जो कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में किए गए निवेश के कारण थी। 2017-18 से 2021-22 के दौरान निवेश पर प्रतिफल की प्रतिशतता 0.05 *प्रतिशत* से 0.43 *प्रतिशत* के बीच था जबकि सरकार ने 2021-22 के दौरान अपनी उधारियों पर 6.50 *प्रतिशत* की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया था।

(पैराग्राफ 2.4.3.2)

- रा.रा.क्षे.दि.स. को खुले बाजार से ऋण जुटाने का अधिकार नहीं है। भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम में रा.रा.क्षे.दि.स. की ऋण प्राप्तियां शामिल है। 2021-22 के अंत में प्रभावी बकाया ऋण ₹ 41,786 करोड़

(₹ 53,844 करोड़ - ₹ 5,865 करोड़ - ₹ 6,193 करोड़) था क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि राज्य को ऋण प्राप्ति के अंतर्गत बैक टू बैक ऋण के रुप में दिए गए ₹ 5,865 करोड़ (2020-21) और ₹ 6,193 करोड़ (2021-22) के जीएसटी मुआवजे को राज्य का ऋण नहीं माना जाएगा। सरकार का ऋण 2017-18 के अंत में ₹ 33,569 करोड़ से ₹ 8,217 करोड़ (24.48 *प्रतिशत*) बढ़कर 2021-22 के अंत में ₹ 41,786 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान ₹ 950 करोड़ (29.10 *प्रतिशत*) बढ़ गया।

(पैराग्राफ 2.5 एवं 2.5.1)

अध्याय-III

बजटीय प्रबंधन

- 2021-22 के दौरान ₹ 72,081.08 करोड़ के कुल अनुदान एवं विनियोजन के प्रति ₹ 10,539.08 करोड़ (14.62 *प्रतिशत*) की कुल बचत थी जो दर्शाता है कि बजट अनुमान परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त जांच के बाद तैयार नहीं किए गए थे।

(पैराग्राफ 3.1.1 एवं 3.3.3)

- सात मामलों में ₹ 1,275.33 करोड़ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक साबित हुआ। चार अनुदानों में फैले 9 उप-शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत ₹ 15 करोड़ से अधिक थी। पुनर्विनियोग अनावश्यक रूप से किये गये थे क्योंकि विभाग अपने मौजूदा अनुदानों का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम नहीं थे तथा ₹ 230.12 करोड़ के पुनर्विनियोग के प्रति ₹ 699.19 करोड़ की संचयी बचत थी। यह निधियों के अवास्तविक मूल्यांकन और घाटे की बजटीय कवायद को दर्शाता है।

(पैराग्राफ 3.3.1 एवं 3.3.2)

- रा.रा.क्षे.दि.स. ने व्यय के सटीक वस्तु शीर्ष की पहचान किए बिना चार अनुदानों के अंतर्गत ₹ 319 करोड़ के कुल एकमुश्त बजटीय प्रावधान किया, जिसके प्रति ₹ 170.07 करोड़ व्यय किए गए।

(पैराग्राफ 3.4.1)

- ₹ 10,539.08 करोड़ की कुल बचत में से 31 मार्च 2022 को ₹ 5,458 करोड़ (51.79 *प्रतिशत*) की बचत व्यपगत हो गयी थी। इससे पता चलता है कि बजट आवंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित था।

(पैराग्राफ 3.5.1)

- नौ अनुदानों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक) के अंतर्गत 82 उप-शीर्षों में, ₹ 560.41 करोड़ का सम्पूर्ण प्रावधान विभागों द्वारा अनुपयोगी रहा अथवा वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति से पहले सरकार को वापस भेज दिया गया। सम्पूर्ण अनुदानों की बचत दर्शाती है कि परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त जांच के बाद प्राक्कलन तैयार नहीं किए गए थे।

(पैराग्राफ 3.5.2)

- 2021-22 के दौरान ₹ 61,172.34 करोड़ के कुल व्यय में से (₹ 369.66 करोड़ की वसूली के अलावा) ₹ 21,800.95 करोड़ (बजट का 30.24 *प्रतिशत*) का व्यय अंतिम तिमाही में किया गया जबकि मार्च 2022 महीने के दौरान ₹ 9,995.85 करोड़ (बजट का 13.87 *प्रतिशत*) व्यय किए गए थे। आगे, पांच अनुदानों के अंतर्गत 11 उप-शीर्षों में ₹ 1,596.02 करोड़ का सम्पूर्ण व्यय मार्च 2022 में किया गया था। यह वित्तीय नियमों के पालन में कमी को दर्शाता है और व्यय की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

(पैराग्राफ 3.5.3)

अध्याय-IV

लेखा की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यप्रणाली

- लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2012-13 से पूर्व ₹ 221.02 करोड़ की राशि के 1,049 उ.प्र. (73.46 *प्रतिशत*) बकाये थे जबकि ₹ 7,509.29 करोड़ की राशि के 379 उ.प्र. (26.54 *प्रतिशत*) 2012-13 से 2020-21 तक के बकाये थे।

(पैराग्राफ 4.2)

- मार्च 2022 तक ₹ 432.42 करोड़ के कुल 4,686 सा.आ. बिल बकाया थे। 64 सरकारी विभागों ने वित्त वर्ष 2021-22 के खाते बंद होने से पहले ₹ 134.40 करोड़ की राशि के 536 वि.प्र. बिल जमा नहीं किए। अतः इसका कोई आश्वासन नहीं था कि वित्त वर्ष के दौरान ये व्यय वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा अधिकृत किया गया था।

(पैराग्राफ 4.3)

- 2021-22 के दौरान ₹ 54,354 करोड़ के कुल व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) में से ₹ 5,745 करोड़ के व्यय को लेखा के लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था जो कुल व्यय का 10.57 *प्रतिशत* था,

जबकि ₹ 49,312.99 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से ₹ 695.57 करोड़ की प्राप्तियों को लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, जो कुल प्राप्तियों का 1.41 *प्रतिशत* था।

(पैराग्राफ 4.5)

- नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और 20 के अंतर्गत 11 स्वायत्त निकायों/ प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. को सौंपी गयी है। लेखापरीक्षा द्वारा 2021-22 तक देय आठ निकायों/प्राधिकरणों के 26 वार्षिक लेखे सितम्बर 2022 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

(पैराग्राफ 4.6)

अध्याय -V

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

- 31 मार्च 2022 तक, भा.नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली में सरकार द्वारा नियंत्रित एक अन्य कंपनी, दो सांविधिक निगमों तथा 15 सरकारी कंपनियों सहित 18 रा.सा.क्षे.उ. थे।

(पैराग्राफ 5.1.3)

- 31 मार्च 2022 तक, 18 रा.सा.क्षे.उ. में कुल निवेश (इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण) ₹ 25,748.79 करोड़ था। निवेश में इक्विटी के लिए 37.38 प्रतिशत और दीर्घावधि के ऋण में 62.62 प्रतिशत शामिल था। इसमें से रा.रा.क्षे.दि.स. ने इन रा.सा.क्षे.उ. में ₹ 24,797.65 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें ₹ 9,202.49 करोड़ की इक्विटी और ₹ 15,595.16 करोड़ का दीर्घावधि ऋण शामिल है।

(पैराग्राफ 5.2.1)

- छह रा.सा.क्षे.उ. में से दो रा.सा.क्षे.उ., जिन्होंने लाभ कमाया और जिसमें रा.रा.क्षे.दि.स. ने निवेश किया था, ने वर्ष 2021-22 के दौरान लाभांश घोषित/भुगतान किया था। एक रा.सा.क्षे.उ. ने हालांकि लाभ नहीं कमाया लेकिन अपने नेट वर्थ के आधार पर लाभांश का भुगतान किया।

(पैराग्राफ 5.3)

- दिल्ली परिवहन निगम का नेट वर्थ उसके संचित घाटे से पूरी तरह से समाप्त हो गया है और 31 मार्च 2022 तक ₹ 1,983.85 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति नेटवर्थ (-) ₹ 50,258.83 करोड़ था।

(पैराग्राफ 5.4)

- 18 रा.सा.क्षे.उ. में से केवल छह रा.सा.क्षे.उ. ने वर्ष 2021-22 के लिए अपना वार्षिक लेखा पस्तुत किया था और शेष 12 रा.सा.क्षे.उ. में 19 लेखाओं का बकाया था। रा.रा.क्षे.दि.स. ने 12 रा.सा.क्षे.उ. में से छह में उस अवधि के दौरान जिसके लिए उनके लेखे बकाया थे, ₹ 2,572.53 करोड़ (इक्विटीः ₹ 4.80 करोड़, ऋणः ₹ शून्य करोड़, अनुदान ₹ 2,567.73 करोड़) प्रदान किया था।

(पैराग्राफ 5.5.2)